यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, **उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, **उत्तरकाशी** के माह 06/2015 से 11/2017 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, **प्रीतांशु कुमार श्रीवास्तव** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 16.12.2017 से 27.12.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **विनीत निगम** , श्री **उदयवीर सिंह**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 06.06.2015 से 18.06.2015 तक श्री **प्रेमचन्द्र**, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 12/2009 से 05/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2015 से 11/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**
इकाई द्वारा जनपद में स्थापित चिकित्सा इकाईयों के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सम्पादन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद **उत्तरकाशी** है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	189.89	147.60	300.77	281.52	–	42.29	–	19.25
2016–17	–	–	224.66	219.07	541.37	514.42	'–	5.59	–	26.95
2017–18 (11/2017 तक)	–	–	0	0	379.14	274.99	–	0	–	104.15

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	एन0एच0एम0, आई0डी0एस0पी0, एन0एल0ई0पी0, एन0टी0सी0पी0 इत्यादि	245.79	679.18	692.08	–	232.89
2016–17		232.89	758.97	642.78	–	349.08
2017–18 (11/2017 तक)		349.08	42.13	233.03	–	158.18

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश के रुप में राज्य स्तर से अवमुक्त किया जाता है तथा जिला योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

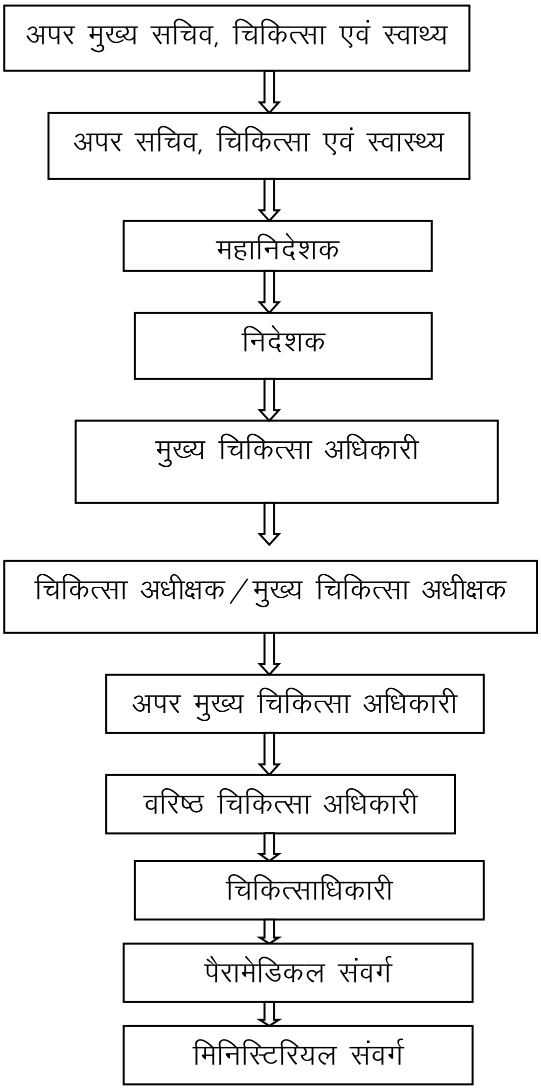

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, **उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1: उचित अनुश्रवण एवं कार्यालयी तत्परता के अभाव मे रु 108.67 लाख का कार्य अपूर्ण रहना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका Vol-VI का नियम संख्या 378 प्रावधानित करता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाएगा।

शासनादेश संख्या 12313/29.09.2011 स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि यदि हस्तांतरण प्रपत्र प्रेषित करने के तीन माह तक यदि भवन अधिग्रहित नहीं किया जाता है, तो उस भवन को स्वतः ही अधिग्रहण किया माना जाएगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी के प्राधिकार क्षेत्र मे वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों की नमूना लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि निम्नलिखित चार निर्माण कार्यों की स्वीकृत लागत रु. 57.14 लाख की पूर्ण धनराशि निर्माण एजेंसी को अवमुक्त करने एवं उक्त धनराशि को निर्माण एजेंसी द्वारा पूर्णतया ब्यय करने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा चारों निर्माण कार्यों को दिसंबर 2017 तक हस्तांतरित नहीं किया जा सका था। निर्माण कार्यों पर रु. 57.14 व्यय किया गया, परंतु लेखा परीक्षा की तिथि तक निम्नलिखित निर्माण कार्य पूर्ण कर कार्यालय को हस्तगत नहीं किए जा सके थे। जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या	केंद्र का नाम	कार्य स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत (रु.लाख मे)	अवमुक्त धनराशि (रु.लाख मे)	वास्तविक ब्यय (रु.लाख मे)	कार्यदायी संस्था का नाम
1	उपकेंद्र गोरसाली	जिला योजना 2011-12	18.76	18.76	18.76	ग्रामीण अवस्थापन सेवा
2	उपकेंद्र संगमचट्टी	जिला योजना 2014-15	18.14	18.14	18.14	ग्रामीण अवस्थापन सेवा
3	उपकेंद्र देवल	राज्य योजना 2006-07	8.36	8.36	8.36	ग्रामीण अवस्थापन सेवा
4	उपकेंद्र जड़ीडुमका	राज्य योजना 2007-08	11.88	11.88	11.88	ग्रामीण अवस्थापन सेवा
		योग	57.14	57.14	57.14	

लेखा परीक्षा नमूना जांच मे पाया गया कि उपकेंद्र गोरसाली, उपकेंद्र संगमचट्टी, उपकेंद्र देवल एवं उपकेंद्र जड़ीडुमका के निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी ग्रामीण अवस्थापन सेवा को मार्च 2017 से पूर्व ही स्वीकृत लागत रु. 57.14 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किया जा चुका था। सात से दस वर्षों तक का समय ब्यतीत हो जाने के बाद भी दिसंबर 2017 तक इन निर्माण कार्यों को पूर्ण कर कार्यालय को हस्तांतरित नहीं किया जा सका था जो की विभागीय अनुश्रवण एवं नियोजन की कमी को दर्शाता है। राज. एलो. चिकि. नैटवाड़ के

निर्माण हेतु वर्ष 2007-08 मे प्राप्त रु. 49.94 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण एजेंसी को माह जनवरी 2008 मे ही रु. 38.00 लाख अवमुक्त कर दिया गया था। परंतु वर्तमान मे कार्य अपूर्ण है और साथ ही निर्माण एजेंसी द्वारा रु. 80.87 लाख का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया है।

आगे लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि एएनएम सेंटर कुथनौर की सुरक्षा दीवार के निर्माण हेतु रु. 13.53 लाख मई 2016 मे शासन से प्राप्त हुआ था और कार्य प्रारम्भ किया गया। परंतु भूमि का पूर्व मे ही चयन नहीं किए जाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका रहा। इस संदर्भ मे उल्लेखनीय है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका Vol-VI का नियम संख्या 378 प्रावधानित करता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने पाने उत्तर मे बतलाया कि भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका और निर्माण एजेंसी द्वारा कमियों को पूरा नहीं करने के कारण हस्तगत करने का कार्य नहीं हो सका। उत्तर लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश संख्या 12313/29.09.2011 स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि छोटी कमियों के साथ निर्माण कार्य को हस्तगत करना होगा, जो कि कार्यालय द्वारा नहीं किया गया था।

इस प्रकार उचित अनुश्रवण एवं कार्यालयी तत्परता के अभाव मे रु 108.67 लाख का कार्य अपूर्ण रहा।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर– 2 ...रु0 206.19 लाख ब्यय किए जाने के बावजूद भी 41,896 बच्चों एवं छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण न किया जाना।

भारत सरकार द्वारा बच्चों/किशोर–किशोरियों की स्वास्थ्य जॉच एवं उपचार को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2013–14 से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के स्थान पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रम के अनुसार नवजात से लेकर 18 वर्ष तक की आयुवर्ग के बच्चों की निःशुल्क स्वास्थ्य जॉच एवं उपचार का प्राविधान किया गया है। कार्यक्रम के दिशा–निर्देशानुसार लक्षित समूह की स्वास्थ्य जॉच का कार्य (i) नवजात से लेकर 6 सप्ताह तक के बच्चों की स्वास्थ्य जॉच एवं उनमें बीमारियों की पहचान प्रत्येक सरकारी प्रसव केन्द्र पर कार्यरत स्टाफ के द्वारा तथा आशा कार्यकत्री के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में घर–घर भ्रमण कर, (ii) 6 सप्ताह से 6 वर्ष तक के बच्चों का वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान का कार्य ब्लाक स्तरीय मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों का भ्रमण कर तथा (iii) 6 से 18 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों जो सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान का कार्य ब्लाक स्तरीय मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा विद्यालयों में भ्रमण कर किया जाना था।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, **उत्तरकाशी** के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आएः–

1. स्वास्थ्य टीमों द्वारा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में लक्षित आंगनबाडी के 58504 बच्चों एवं विद्यालयों के 111401 छात्र/छात्राओं के सापेक्ष आंगनबाडी के 38155 बच्चों एवं विद्यालयों के 89854 छात्र/छात्राओं का ही स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान की गयी। इसप्रकार, आंगनबाडी में 65 प्रतिशत एवं विद्यालयों में 78 प्रतिशत बच्चों एवं छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान ही नहीं की गयी। जबकि उक्त दोनों वर्षों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 206.19 लाख (वर्ष 2015–16 : रु0 105.92 लाख एवं वर्ष 2016–17: रु0 100.27 लाख) व्यय किए गये।
2. वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान से छूट गये बच्चों की सूची न तो कार्यालय के पास उपलब्ध थी एवं न ही ऐसा कोई अभिलेख मौजूद था जो यह पुष्टि करें कि अगले वर्ष प्राथमिकता के आधार पर इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया हो।

3. सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को निर्धारित वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान के विपरीत मात्र एक बार ही स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान की गयी थी, जो कि कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों की विपरीत था।

इस प्रकार, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 206.19 लाख ब्यय किए जाने के बावजूद भी विगत दो वर्षों में 41896 बच्चों एवं छात्र–छात्राओं (आंगडबाडी : 20349 एवं विद्यालय : 21547) का स्वास्थ्य परीक्षण ही नहीं किया गया, जो यह पुष्टि करता है कि ब्लाक स्तरीय मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा कार्यक्रम के अनुसार नियमित भ्रमण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि **पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान वास्तविक उपस्थिती कम होने के कारण लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है।** उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रु0 206.19 लाख ब्यय किए जाने के बावजूद भी विगत दो वर्षों में 41,896 बच्चों एवं छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण न हो पाना कहीं–न–कहीं विभाग की विफलता है।

अतः रु0 206.19 लाख ब्यय किए जाने के बावजूद भी 41896 बच्चों एवं छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 68.54 लाख के अनियमित व्यय का भुगतान।

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रुप में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1,400 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 1,000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन लाभार्थी को प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (i) प्रसव की सम्भावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उसे प्रसव की सम्भावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके, (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रुप से देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए एवं प्रसव से सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात् किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जायेगा। इसके अतिरिक्त आशाओं को नकद प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जाएगी, जिसमें प्रथम 50 प्रतिशत राशि लाभार्थी महिला के स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज के पश्चात् दी जाएगी वशर्ते सम्बन्धित आशा गर्भवती महिला के साथ स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव के समय रही हो तथा अवशेष 50 प्रतिशत राशि प्रसव के एक माह पश्चात् दी जाएगी जब बी0सी0जी0 वैक्सीन बच्चे को दी गयी हो और नवजात शिशुओं के जन्म के समय आशा ने देखभाल और जन्म के पंजीकरण में सहायता की हो।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, **उत्तरकाशी** के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 से 2017–18 (10/2017) तक कुल 9805 लाभार्थियों (वर्ष 2015–16 :3501 , वर्ष 2016–17 : 3733 एवं वर्ष 2017–18 : 2571) को रु0 133.78 लाख का भुगतान किया गया। आगे, अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि लाभार्थियों को किया गया रु0 68.54 लाख का भुगतान जे0एस0वाई0 योजना के दिशा–निर्देशों के विपरीत किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1. शत–प्रतिशत प्रकरणों में जे0एस0वाई0 कार्ड प्रसव के दिन ही भरे गये थे।
2. संस्थागत प्रसव कराने वाली 4896 महिलाओं को प्रोत्साहन राशि रु0 68.54 लाख बिना न्यूनतम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुके प्रदान किया गया था।

वर्ष 2015–16 से 2017–18 (10/2017) तक हुए संस्थागत प्रसवों एवं प्रोत्साहन राशि वितरण का विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	क्षेत्र	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या	48 घण्टे से कम स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या (Col.3–4)	भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या	प्रदत्त राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	देय राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	आधिक्य भुगतान (Col.7 – Col.8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2015–16	ग्रामीण	3323	1414	1909	3323	4652200	1979600	2672600
	शहरी	178	178	0	137	137000	137000	0
2016–17	ग्रामीण	3550	1763	1787	3550	4970000	2468200	2501800
	शहरी	183	183	0	132	132000	132000	0
2017–18 (11/2017)	ग्रामीण	2427	1227	1200	2427	3397800	1717800	1680000
	शहरी	144	144	0	89	89000	89000	0
योगः–	**ग्रामीण**	**9300**	**4404**	**4896**	**9300**	**13020000**	**6165600**	**6854400**
	शहरी	**505**	**505**	**0**	**358**	**358000**	**358000**	**0**
महायोगः		**9805**	**4909**	**4896**	**9658**	**13378000**	**6523600**	**6854400**

इस प्रकार, योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि वितरण हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अन्तर्गत रु0 68.54 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रसव उपरान्त् लाभार्थियों के निजी अनुरोध पर ही डिस्चार्ज किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर ही लाभार्थियों को भुगतान किया जाना चाहिए था। इसप्रकार योजना में निर्धारित शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर उनको देय भुगतान अमान्य था।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 68.54 लाख के अनियमित भुगतान के प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-4- धनराशि रु. 7.04 लाख के चिकित्सा उपकरण का अनुपयोगी रहना एवं 6 निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी विगत कई वर्षों न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी के उपकरणों/सामग्रियों संबंधी लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2005-06 के मध्य क्रय किये गये कुल क्रय धनराशि रु. 7.04 लाख के चिकित्सा उपकरण (अनुलग्नक-**B**) अक्रियाशील पाये गये थे जो तकनीकी खराबी के कारण निष्क्रिय पड़े हुये थे। जिसे ठीक कराने का प्रयास नहीं किये गये, न ही चिकित्सा उपकरण को अन्य चिकित्सालयों में जहाँ उनकी आवश्यकता होती, स्थानांतरित किया गया। आगे जांच में पाया गया कि वर्ष 2006- से 2017 के मध्य कुल 6 वाहनों (अनुलग्नक-बी) को आपरोड घोषित किया गया तथा इन वाहनों के नीलामी संबंधित कार्यवाही नहीं की गयी जो वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि उक्त सामग्री को नीलामी शीघ्र की जाएगी। तथा तकनीकी खराबी को ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा। उक्त स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुपयोगी को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी कर उक्त सामग्रियों को और मूल्य ह्रास एवं विभागीय प्राप्तियों की हानि से बचाया जाना चाहिये। तकनीकी खराबी को ठीक करा कर जन मानस को होने वाली समस्याओं से बचाया जा सकता था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो -ब

प्रस्तर:**5-** रु. **7.54** लाख का संकलित ब्याज नियमानुसार राजकोष मे नहीं जमा कराया जाना ।

उत्तराखंड सरकार का शासनादेश संख्या-99/xxvii(14)/2009 दिनांक 03 सितंबर 2009 आदेशित करता है कि समेकित निधि से आहरित धनराशि पर अर्जित ब्याजराशि को राजकोष मे लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियाँ के अंतर्गत जमा किया जाय।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी के स्थापना की रोकड़-बही एवं संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 (09/2017) तक बचत खाते मे रु. 7.54 लाख का ब्याज संकलित हुआ था। इस प्रकार कुल रु. 7.54 लाख का संकलित ब्याज नियमानुसार राजकोष मे जमा करा दिया जाना चाहिए था, परंतु यह ब्याज राशि कार्यालय के खातों मे अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। इस ब्याज राशि का उपयोग अन्य जनहित के कार्यों मे किया जा सकता था।

इसके संबंध मे पुछे जाने पर इकाई अपने उत्तर मे बतलाया कि रु. 7.54 लाख की धनराशि शीघ्र ही राजकोष मे जमा करा दी जाएगी।

अतः रु. 7.54 लाख की धनराशि को राजकोष मे जमा नहीं कराये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर:**1-** ई -भुगतान के धनराशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में न किये जाने के संबंध मे ।

शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii(6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों – यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे I इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बंधित माह में किये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ''''Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी की स्थापना ब्यय की रोकड़बही की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि चयनित माह मार्च 2016 मे रु. 72.68 लाख एवं मार्च 2017 मे रु. 124.52 लाख की धनराशि का सकल ब्यय ट्रेजरी के माध्यम से किया गया था। ट्रेजरी के माध्यम से ब्ययित एवं Form BM- 5 (सीटीआर) मे अंकित कुल रू 197.2 लाख की सकल धनराशि को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था।

इस संबंध मे इकाई से पुछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया कि नियमों का ज्ञान नहीं के कारण ऑनलाइन भुगतान की धनराशि का अंकन रोकड़ बही मे नहीं किया गया था।

अतः ऑनलाइन भुगतान की धनराशि का अंकन रोकड़ बही मे नहीं किया जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–2. अन्य जनपद में सम्बद्वता के कारण रु0 30.86 लाख का अनियमित भुगतान।

महानिदेशक के पत्रांक स. 684/xxव111-3-2016-76/2015 दिनक 30.6.2016 के अनुसार समस्त विभागाअध्यक्ष को यह आदेशित किया गया था की उनके विभाग मे कर्रियत कार्मिको जो अन्य कार्यालयों मे सम्बद्ध है तत्काल प्रभावो से कार्यालयों मे वापस बुलाये जाये मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकशी की नवम्बर *2017* के वेतन बिल (Pay Bill) एवं उपस्थिति पंजिका (Attendance Register) के तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि निम्नलिखित पाँच कार्मिको 1.श्री योगेश कुमार 2, कु. रेखा राणा 3. मुकेश पूरी 4. श्री क्ुंवर सिंह 5। विरेन्दर सिंह राणा कनिष्ठ सहायक की उपस्थिति पंजिका में दर्ज नहीं पायी गयी, शासन के दिशा निर्देश पालन नहीं किया गया जबकि उनका वेतन माह जून 2016 से माह नवम्बर *2017* तक रु. 30.86 लाख आहरित किया गयाI विवरण निम्नवत है :-

Name of Employear	Degnation	year	Gross Pay
Mr Birendra Singh	Ward boy	6/2016—to 11/2017	662481
Mr Kuwar Singh	Driver	6/2016—to 11/2017	564512
Mr Mukesh Puri	Driver	6/2016—to 11/2017	544112
Km. Rekha Rana	Staff Nurse	6/2016—to 11/2017	838815
Mr Yogesh	Junior Assistant	6/2016—to 11/2017	476491
			3086411

उपरोक्त प्रकरण की तरफ लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया कि अन्य कार्मिकों से कार्य लिया जा रहा है और इनकी नियुक्ति मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से की गई थी। उत्तर लेखा परीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यालय मे स्वीकृत पद से कम संख्या मे कार्मिकों के कार्यरत होने की स्थिति मे उनको कहीं और सम्बन्ध किया जाना तर्कपूर्ण नहीं था और शासनादेश के दिशा-निर्देशों के विपरीत था।

अतः शासनादेश की विपरीत की गई अनियमित संबद्धता के कारण रु. 30.86 लाख के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–3 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 4.07 लाख का अधिक भुगतान।

शासनादेश संख्या 41/xxvii/7 सी भर्ती/2009 दिनॉक 13.02.2009 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की भर्ती दिनॉक 01.01.2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती से हुयी हो तो उनके वेतन बैण्डों एवं ग्रेड वेतन पर न्यूनतम प्रविष्टि वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाएगा तथा शासनादेश संख्या 2084/XXVIII-3-2013-142/2008 दिनॉक 31.12.2013 के अनुसार विशेष कार्य अधिकारी (फार्मेसी) का वेतनमान रु0 15600–39100 ग्रेड वेतन रु0 5400 से उच्चीकृत कर वेतनमान रु0 15600–39100 ग्रेड वेतन रु0 6600 संशोधित/उच्चीकृत किया गया था।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, **उत्तरकाशी** के सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जॉच में पाया गया कि श्री **ताराचंद राणा** , चीफ फार्माशिष्ट का वेतन MACP **प्रदान किए जाने के पश्चात** दिनॉक 31.12.2013 में वेतन 19870 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600 (27470) **पर वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए था। जबकि उक्त कर्मचारी को** शासनादेश दिनॉक 31.12.2013 मे शासनादेश संख्या-41 के क्रम मे वेतन को MACP प्रदान करते हुए वेतन रु. 21900 एवं ग्रेड वेतन 7600 (29500) पर वेतन निर्धारण किया गया जिसके कारण 31.12.2013 से 30.11.2017 तक वेतन एवं भत्तों मे रु. 165270/- का अधिक भुगतान किया गया। इसी प्रकार श्री अरविंद चीफ फार्मेसिस्ट को MACP प्रदान करते हुए 31.12.2013 को रु. 17140 + ग्रेड वेतन 6600 कुल 23740 पर वेतन निर्धारण किया जाना चाहिये था किन्तु वेतन 18750+ 6600=25350 पर निर्धारित किया गया जिसके कारण 31.12.2013 से 30.11.2017 तक कुल रु. 135102 अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार दोनों कार्मिकों की त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किए जाने के कारण रु. 300372 अधिक का भुगतान किया गया।

उपरोक्त कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक 01.1.2006 के पूर्व की है इनका वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण तरीके से आदेश संख्या 41/xx/vii/7सीधी भर्ती/2009 दिनांक 13.02.2009 के अनुसार की गई है जो इन पर लागू नहीं होती।

उपरोक्त प्रकरण की तरफ इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया कि लेखा परीक्षा द्वारा उठाई गई त्रुटियों को संज्ञान मे लेते हुए उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया जाएगा और संबन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाएगी।

अतः हेडिंग का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
38/2015–16	–	1, 2 एवं 3	–
विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की **अद्यतन** अनुपालन आख्या **सीधे ही महालेखाकर (लेखा परीक्षा) कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।**			

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

–– शून्य ––

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, **उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा0 ज्ञानेन्द्र सिंह रावत	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	18.09.2015 से 27.06.2016
2.	डा0 (मेजर) बचन सिंह	– तदैव –	28.06.2016 से 18.05.2017
3.	डा0 कल्पना गुप्ता	– तदैव –	19.05.2017 से 24.11.2017
4	डा0 (मेजर) बचन सिंह	– तदैव –	25.11.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, **उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र